राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:— 166/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :— 22.07.2022

GCMS ID—2022/85

1. रामगोपाल आ0 रामदेव जाति मीणा निवासी उमर हाल निवासी कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री महेश नामा

वकील अप्रार्थी :— परोकार सरकार

दिनांक :— 09/01/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 91 खसरा संख्या खसरा संख्या 1313 रकबा 1.1169 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1319 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1320 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1321 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1322 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1323 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1324 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1325 रकबा 0.4532 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1326 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1327 रकबा 0.8013 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1328 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1329 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1330 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, कुल किता 13 कुल रकबा 4.2977 हैक्टेयर वो ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली में विस्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 निहित है, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमियों पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थी रामगोपाल के स्थान पर गोपाल अंकित हो रहा है। उपरोक्त भूमियों की जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता रामदयाल की मृत्यु के उपरान्त विरासत से वारिसान का नाम दर्ज किया गया है, जिसमें दौराने नामान्तकरण सहवन से प्रार्थी रामगोपाल के स्थान पर गोपाल राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में दर्ज हो गया है, जो गलत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

है। प्रार्थी वर्तमान में बाहर रहते है, प्रार्थी के पिता रामदेव जी की मृत्यु के बाद विरासत नामान्तकरण में उक्त नाम संहवन से राजस्व रिकार्ड की जमावंदीयों में नाम दर्ज हो गया है, जो गलत है जिसे दुरूस्त कर प्रार्थी के उक्त गलत गोपाल के स्थान पर रामगोपाल अंकित किया गया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तथा प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेजों में उक्त सही नाम रामगोपाल ही दर्ज है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में रामगोपाल के स्थान पर गोपाल अंकित होने से अपने खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि का सही एवं कानूनी रूप से उपयोग, उपभोग नही कर पा रहे है। और न ही प्रार्थीगण को उक्त भूमियो पर लाभ, ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल को दुरूस्त कर उसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम रामगोपाल दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती करने हेतु कई बार लिखित व मौखिक रूप से हल्का पटवारी व अप्रार्थी एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों से निवेदन किया परन्तु प्रार्थीगण के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा अप्रार्थी व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने प्रार्थीगण को कहा कि बाद न्यायालय आदेश लाने के उपरान्त ही इन्द्राज दुरूस्त किया जा सकता है, इसलिए प्रार्थीगण के पास उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी विकल्प नही रहा है। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में होन से श्रीमान को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया वाके ग्राम उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 के राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल को विलोपित कर उक्त स्थान पर प्रार्थी का सही नाम रामगोपाल राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में दर्ज किया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थीगण के पक्ष में सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अंकित भूमि में दर्ज गोपाल के स्थान पर रामगोपाल किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :- राजस्व/24/3198 दिनांक :- 13.11.2024 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम उमर के खाता संख्या 91 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1313, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330 कुल किता 13 कुल रकबा 4.2977 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर में दर्ज गोपाल के स्थान पर रामगोपाल दर्ज करवाना चाहते है। मौके पर उपस्थित सहखातेदारान/मौतबिरानों से जानकारी करने पर बताया गया कि गोपाल व रामगोपाल एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया है, उक्त शुद्धि किए जाने में अपनी सहमति होना बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गोपाल व रामगोपाल एक ही व्यक्ति का नाम है जिन्हें मुताबिक प्रार्थना के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता डायरी व प्रार्थी के नाम अन्य खाता संख्या 203 ग्राम कोटाखुर्द की जमाबंदी पेश किए हैं जिनमें प्रार्थी का नाम रामगोपाल दर्ज है, जो कि वर्तमान जमाबंदी में गोपाल पिता रामदेव अंकित है। प्रकरण में अप्रार्थी जबाव पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 91 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1313, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330 कुल किता 13 कुल रकबा 4.2977 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली में दर्ज गोपाल पुत्र रामदेव के स्थान पर रामगोपाल पुत्र रामदेव शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होंकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 09.01.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

09/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)